

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक-एफ-5(ए)(46)एसीटीएडी/माडा/275(1)बा.छात्रा.,बहु.छा.एसीटीएडी/जोधपुर/2020/दिनांक-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (शा.वि.प्र.), जोधपुर।

विषय- जोधपुर जिला मुख्यालय पर जनजाति कन्या छात्रावास (क्षमता 50), जनजाति कन्या बहुउद्देशीय छात्रावास (क्षमता 50) एवं अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ) कार्यालय के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग- विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक- 17957-68 दिनांक 13.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में जोधपुर जिला मुख्यालय पर जनजाति कन्या छात्रावास (क्षमता 50), जनजाति कन्या बहुउद्देशीय छात्रावास (क्षमता 50) एवं अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ) कार्यालय के निर्माण की (राजस्थान आवासन मण्डल की कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर के सेक्टर-5 के लिए) निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1290.00 लाख की जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशा.स्वीकृति		सकनीकी स्वीकृति		वित्तीय स्वीकृति लाख रु	अनुमत कटिन्वेन्सी राशि 1.5% (रु.में)	अनुमत में से जिला परिषद को देय राशि 1.25% (रु. में)	अनुमत में से आयुक्त खाते में आरक्षित राशि 0.25% (रु.में)	
		क्रमांक/दिनांक	राशि लाख रु	क्रमांक/दिनांक	राशि लाख रु					
1	जोधपुर जिला मुख्यालय पर जनजाति कन्या छात्रावास (क्षमता 50) जनजाति कन्या बहुउद्देशीय छात्रावास (क्षमता 50) एवं अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ) कार्यालय का निर्माण	3		4	5	6	7	8	9	10
		17957-68 / 13.07.2021	1290.00	07 / 15.07.2021	1290.00	1290.00	1290.00	19.35	16.125	3.225

राशि की व्यवस्था अलग से की जावेगी।

कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरे व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही गुणवत्तापूर्ण किया जावे। स्वीकृत कार्यों का आपके विभाग में प्रचलित गाईड लाईन अनुसार third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। Inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
- कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

1 सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2428721

E- Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

4. भवन को Heritage Look दिया जावे।
5. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए संबंधित एजेन्सी उत्तरदायी रहेगी।
6. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन, 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
7. प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आयुक्तालय को भिजवाये।

भवदीया,

11

(प्रज्ञा केवलरमानी)
आयुक्त


क्रमांक-एफ-5(प)(46)एसीटीएडी/माडा/275(1)बा.छात्रा.बहु.छा.AC-iv/जोधपुर/2020/
प्रतिलिपी-

20116-27

दिनांक- 04/08/2021

1. निजी सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जोधपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
6. प्रशासक/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जोधपुर।
8. निदेशक, मोनितरिंग, कार्यालय हाजा।
9. माडा मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
10. कम्प्यूटर शाखा/अभियंत्रिकी शाखा, सेकडपाल, कार्यालय हाजा।
11. गार्ड फाईल।

आयुक्त



1 सहेली मार्ग, चैलक सर्कल, उदयपुर (राज.)

EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2428721

E-Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in